(b) if no action has been taken what are the reasons therefor and by when Government's consent for the creation of Maritime Board will be passed on to the Tamil Nadu State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No proposal of the Tamil Nadu Government for creation of Maritime Board in Tamil Nadu is under consideration of this Ministry.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रैस मार्गों के सुधार के लिए विदेशी निवेश

582. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय स्थिति तथा राष्ट्रीय एक्सप्रैस मार्गों की कमी को देखते हुए सरकार ने देश में विदेशी पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधायें तथा व्यापारिक लाभ देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की रूपरेखा क्या है ;

(ग) सरकार ने देश में कितने लम्बे राष्ट्रीय एक्सप्रैस मार्ग तथा कितने लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत में सुधार करने की योजनायें बनायी है ;

(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय का भी अनुमान लगाया है, और

(ङ) यदि हां, तो इन पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) बजटगत संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारतीय और विदेशी राष्ट्रिकों से निजी क्षेत्र की सहभागिता आमंत्रित करने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत विदेशी निवेशकर्त्ताओं सहित निजी कम्पनियों को उनके अपने संसाधनों से राजमार्ग सुविधा विकसित करने के लिए कहा जाएगा और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रयोक्ताओं से शुल्क वसूल करने की अनुमति प्रदान की जाएगी और उस अवधि के बाद यह सुविधा सरकार को प्राप्त हो जाएगी। ये प्रस्ताव भारत सरकार के आर्थिक उदारीकरण की नीति की मोटी रूपरेखा के भीतर शुरू किए जाने है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों एक्सप्रैस मार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। सुधार कार्य उपलब्ध संसाधनों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किए जाते है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

583. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत कुछ दशकों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास व विस्तार की गति धीमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो देश में 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितने किलोमीटर थी ;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास व विस्तार के लिए विभिन्न समय पर अनेक योजनायें क्रियान्वित की गई थीं ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के अंत तक कब-कब और क्या-क्या योजनायें क्रियान्वित की गईं और ऐसी योजनाओं पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ङ) अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितने किलोमीटर थी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 22,255 कि.मी. थी।

(ग) तथा (घ) जी हां। मौजूदा लेनों और पेवमेंटों को मजबूत बनाने, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और उनका विस्तार करने, नए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने से संबंधित विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित किया गया है। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल की गई कुल लम्बाई और किए गए खर्च की राशि नीचे दी गई है।

क्र० सं०	अवधि		जोड़ी गई लम्बाई (कि. मी.)	किया गया खर्च (करोड़ रु०)
1.	पहली योजना	(1951–56)	—	27.32
2.	दूसरी योजना	(1961–66)	1676	42.84
3.	तीसरी योजना	(1961–66)	179	123.58
		(1966–69)	51	51.96
5.	चौथी योजना	(1969–74)	4819	216.94
6.	पांचवीं योजना	(1974–79)	158	332.55
7.		(1978–80)	46	85.48
8	छठी योजना	(1980–85)	2687	670.40
9.	सातवीं योजना	(1985–90)	1902	1482.18
10.		(1990–91)	77	390.07
11.		(1991–92)	—	424.24
12.		(1992–93)	369	480.51
13.		(1993–94)	—	559.70

(ङ) दिनांक 1–4–94 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 34,058 कि.मी. है।

Revival of Hooghly Dock and Port Engineers Ltd.

584. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2466 given in the Rajya Sabha on 21.12.94 and state:

(a) whether Government have since taken a decision for the revival of HDPEL:

(b) if so, what are salient Techno-Economic features of the same;

(c) what is the time frame for completion of examination of revival proposal and the time necessary for implementing revival scheme and